न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 69/2019

1. इलियास
2. गफूरा
3. हनीफ
4. रोजदार
5. हाजर
6. रजमान
7. नाजर पिसरान सम्मन
8. हाजरा पुत्री सम्मन
9. इस्लामी पत्नि ईशाक
10. हासम
11. कासम पिसरान ईशाक
12. कश्मीरी
13. हंसीरा
14. हसीना
15. साहिना पुत्रीयान ईशाक जाति मेव निवासी भक्रोजी तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 23.11.2020

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 222/0.06, 253/0.11 किता 2 रकबा 0.17 है0 बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी में स्थित है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण 1 लगायत 8 मृत्तक पिता सम्मन के वारिसान है एवं वादीगण संख्या 9 लगायत 15 ईशाक के वारिसान है। मृत्तक ईशाक

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण संख्या 1 लगायत 8 का खास भाई था जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार ईशाक फौत हो गया है। जिसके वारिसान वादीगण संख्या 9 लगायत 15 को पक्षकार बनाया गया है। विवादित आराजी वादीगण के दादा रूडा की गैर मौरोसी की आराजी थी जिस पर वादीगण का दादा रूडा ने एक खातेदार की हैसियत से अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक काश्त की दादा के बाद वादीगण के पिता सम्मन आजीवन कब्जे काश्त रहा और उसकी मृत्यु के बाद से आज तक वादीगण का कब्जा काश्त है और मौके पर वादीगण का ही कब्जा है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी 2021 लगायत 2024 , 2033 लगायत 2036, 2037 लगायत 2040, 2042 लगायत 2045, 2029 लगायत 2032, 2046 लगायत 2049 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 लगायत 2013 संलग्न है। विवादित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फौश में आने से पूर्व से ही वादीगण के बुजुर्ग आराजी पर काश्त करते रहे और हाल में वादीगण का कब्जा व काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार दर्ज नहीं किया जाकर गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि कानूनन वादीगण को मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार दर्ज कर देना चाहिये था। विवादित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जो संलग्न राजस्व रिकॉर्ड से साबित हो रहा हैं। इस प्रकार वादीगण आराजी बाबत चले आ रहे गैर खातेदार की इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने यह दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार साहब पहाडी है कानूनन तहसीलदार को दो माह का म्यादी नोटिस दिया जाना जरूरी था लेकिन मामना अरजेन्ट नेचर का होने की वजह से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। क्योकि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार का इन्द्राज होने के कारण राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओ से वादीगण को वंचित होना पड रहा है। इसलिए वादीगण ने यह दावा पेश किया है। दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है और आराजी पुश्तैनी है। मुताबिक कानून वादीगण को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में मृत्तक पिता/पति वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 08.08.2019 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी वादीगण के दादा रूडा की गैर मौरोसी की आराजी थी जिस पर रूडा ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक काश्त की उसके बाद पिता वादीगण ने काश्त की और

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अब हाल में वादीगण का कब्जा है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जो संलग्न रिकॉर्ड से साबित है। वादीगण अपने आपको रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण को खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :—आया आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है ।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :—आया आराजी पर वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कराने के अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके है।

.....वादीगण

3:—दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 इलियास , पी0डब्लू02 कासम, पी0डब्लू0 3 हासम, पी0डब्लू0 4 रोजदार , पी0डब्लू0 5 हनीफ,पी0डब्लू06 रमजान ,पी0डब्लू0 7 नाजिर, , पी0डब्लू0 8 गफूरा,पी0डब्लू09 हाजर , पी0डब्लू0 10 हाजरा, पी0डब्लू0 11 इस्लामी , पी0डब्लू0 12 कश्मीरी, पी0डब्लू0 13 हंसीरा, पी0डब्लू0 14 हसीना , पी0डब्लू0 15 साहिना, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी 2021 लगायत 2024 , 2033 लगायत 2036, 2037 लगायत 2040, 2042 लगायत 2045, 2029 लगायत 2032, 2046 लगायत 2049 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 लगायत 2013 पेश की है।

बहस में वकील वादीगण की बहस सुनी गई बहस पर गहनता से मनन किया पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड/तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है

तनकी संख्या :— 1 उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। विवादित आराजी बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी में स्थित है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में वादीगण के दादा रूडा की कब्जे काश्त की आराजी रही है। उसके उपरान्त वादीगण के पिता एवं हाल में उक्त आराजी पर वादीगण गैरखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पहाडी की जबाब के मुताबिक आराजी वादीगण के दादा रूडा की गैरमौरोसी की आराजी थी ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :— 2उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है और आज भी विवादित आराजी पर वादीगण का ही मुताबिक हिस्सा कब्जा है। दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2007(1)

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पेज संख्या 599 पेश है। इसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2015 धारा 15 ए,230 खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना यदि किसी मामले में व्यक्ति का नाम अधिनियम के लागू होने समय जमाबन्दी के खातेदार उपखातेदार या मौरोसी , खातेदार के रूप में दर्ज है तो वह धारा 15 ए (3) के अन्तर्गत स्वतः खातेदार अधिकार प्राप्त कर लेगा। अतः वादीगण आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के कानूनन अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किए जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीडिक्री किया जाकर वादी कोवादीगण को आराजी खसरा नं0 222/0.06, 253/0.11 किता 2 रकबा 0.17 है0 बांके ग्राम डाबरा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).